भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सेवा में,

मेसर्स इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन,
राजाजीपुरम, लखनऊ – 226017

अधिकार पत्र

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की विज्ञप्ति दिनांक 2, 3 व 5 नवम्बर, 1999 के कम में आप द्वारा प्रस्तुत निविदा को अधोअंकित शर्तो के अधीन स्वीकार करते हुए आपको संलग्नक –1 में उल्लिखित राजकीय/ सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में "ओ" लेविल स्तर के कम्प्यूटर शिक्षण हेतु दस वर्ष के लिये सम्बन्धित महाविद्यालय में कम्प्यूटर मशीन/ साफ्टवेयर व अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था तथा शिक्षण हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

1. इस सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राऐं जो उपर्युक्त "ओ" लेविल स्तर का कम्प्यूटर शिक्षण प्राप्त करेंगें, से रू0 150.00 (120.00+30.00) प्रतिमाह, सी0सी0सी0 की छात्राओं से 400.00 प्रति माह, कम्प्यूटर हार्डवेयर की छात्राओं से 550.00 प्रति माह प्रतिष्ठान की दर से पाने के अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त शासन के उच्च शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा निदेशालय/ सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा अन्य कोई धनराशि आपको देय नहीं होगी।
2. महाविद्यालय से नियमित भुगतान सुनिश्चित करवाने की दृष्टि से त्रैमासिक फीस जमा की जायेगी। प्रारम्भ में दो त्रैमासिक की फीस अर्थात 6 माह की फीस एक साथ ली

प्राचार्या
नवयुग कन्या महाविद्यालय

प्रबन्धक
नवयुग कन्या महाविद्यालय
लखनऊ

BN 128558

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जायेगी एवं इसका भुगतान एक माह में एजेन्सी को कर दिया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय में कम से कम 05 कम्प्यूटर सहित लैब स्थापित किये जायेंगे। 200 छात्रों तक 10 कम्प्यूटर होंगे तथा इससे अधिक छात्र संख्या होने पर प्रत्येक 100 छात्रों पर कम से कम 05 अतिरिक्त कम्प्यूटर लगाने होंगे । मानकानुसार प्रति मशीन अधिकतम दो छात्रों की दर से मशीन रखी जायेगी। छात्र संख्या अधिक होने की दशा में कम्प्यूटर मशीनों की संख्या उपरोक्त अनुपात (1:2) में बढाई जायेगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रम में सम्यक संचालन हेतु वॉछित सभी अवस्थापना सुविधाओं यथा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उपभोगनीय शिक्षण सहायक सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपकरण सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. कम्प्यूटर हार्डवेयर पाठ्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय छात्राओं हेतु अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध करायेगा।
6. पाठ्यक्रम की विषयवस्तु अंग्रेजी तशा यथा सम्भव हिन्दी में तैयार की जायेगी।
7. पाठ्यक्रम के सम्यक शिक्षण हेतु मानकों के अनुरूप अनुदेशक रखें जायेगें।
8. मानक के अनुसार शिक्षण फैकल्टी तैनात की जायेगी, 100– 200 छात्रों पर कम से कम तीन अनुदेख रखें जायेगें।
9. कम्पनी द्वारा कोर्स मेटेरियल छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
10. महाविद्यालय के समस्त छात्रा/छात्राओं को यह सुविधा दी जायेगी।
11. कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर स्टैण्डर्ड मानक के अनुसार ओरिजनल एवं जिन्यून होंगे।
12. महाविद्यालय में प्रत्येक बैच के लिये बारह/अट्ठारह माह के लिए कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। चूँकि महाविद्यालय में सामान्यतः 45 मिनट के पीरीयड होते है अतः कम्प्यूटर शिक्षण कार्यक्रम दो पीरियड (1:30 घण्टा) एक साथ लेकर बनाये जायेंगे।
13. समझौता अवधि (5 वर्ष) की समाप्ति के पश्चात समस्त कम्प्यूटर उपकरण जो संस्था के द्वारा शिक्षण के समय उपलब्ध कराई गई है वह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क

14.7.17
प्राचार्या
नवयुग कन्या महाविद्यालय

प्रबन्धक
नवयुग कन्या महाविद्यालय
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 128559

के महाविद्यालय की सम्पत्ति हो जायेगी एवं महाविद्यालय की अनुमति से समझौता अवधि फिर अग्रिम (5/10 वर्ष) बढाई जा सकेगी।

14. विद्युत एवं जल उपभोग तथा टेलीफोन बिल का (इन्टरनेट सुविधा के लिए) भुगतान महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

15. प्रतिभावान छात्राओं की योग्यता के आधार पर चयन कर परिसरीय साक्षत्कार करवाकर उसके उपयुक्त नौकरी दिलवाने का प्रबंध संस्था द्वारा किया जायेगा।

16. संस्था महाविद्यालय/विद्यालय के छात्रों/छात्राओं को नये एवम् आधुनिक साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की जानकारी समय-समय पर देती रहेगी।

17. इस निमित्त महाविद्यालय के प्राचार्य एवं कम्पनी के मध्य सम्यक धनराशि से जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रथक रूप से एक माह के अन्दर अनुबन्ध अभिलिखित किया जायेगा, जिसकी शर्तो के अनुपालन हेतु दोनों पक्ष बाध्य होंगे।

18. संलग्न में उल्लिखित महाविद्यालयों में अनुबन्ध पत्र अभिलिखित होने के एक माह के अन्दर कम्प्यूटर शिक्षण प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

19. समझौते की अवधि दिनांक 15.07.2017 से 14.07.2022 तक प्रभावी रहेगी।

दिनांकः- 14..07.2017

(आनन्द श्रीवास्तव)
प्रो0
आइ0आइ0सी0ई0 कम्प्यूटर एजूकेशन
राजाजीपुरम लखनऊ

(डॉ0 सृष्टि श्रीवास्तव)
प्राचार्या
नवयुग कन्या महाविद्यालय
लखनऊ

(विजय दयाल)
प्रबन्धक
नवयुग कन्या महाविद्यालय
लखनऊ